पार्थ अजित पवार ने उच्च सदन में ली शपथ

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (ब्यूरो)। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र से नव निर्वाचित सदस्य पार्थ अजित पवार को गुरुवार को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई।

TATA mutual fund

NOTICE

Unitholders of all the schemes of Tata Mutual Fund are requested to note that the scheme wise Portfolio Statements for the half year ended March 2026 are hosted on the websites www.tatamutualfund.com and www.amfiindia.com

Unitholders can submit a request for a physical copy or electronic copy of the scheme wise portfolio statement by calling on: (022) 62827777 or by sending an email to service@tataamc.com or by writing to Tata Mutual Fund, Mulla House, Ground Floor, 51, M. G. Road, Near Flora Fountain, Mumbai - 400001.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Corporate Identity Number: TAMPL – U65990-MH1994-PTC-077090

TITANIUM SIF

NOTICE

Unitholders of all investment strategies of Titanium SIF are requested to note that the Investment Strategy wise Portfolio Statements for the half year ended March 2026 are hosted on the websites www.tatamutualfund.com/titanium-sif and www.amfiindia.com

Unitholders can submit a request for a physical copy or electronic copy of the investment strategy wise portfolio statement by calling on: (022) 62827777 or by sending an email to services@titanium-sif.com or by writing to Tata Mutual Fund, Mulla House, Ground Floor, 51, M. G. Road, Near Flora Fountain, Mumbai - 400001.

Investments in Specialized Investment Fund involves relatively higher risk including potential loss of capital, liquidity risk and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision.

Corporate Identity Number: TAMPL – U65990-MH1994-PTC-077090

बारामती : कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार वापस लिया

उपचुनाव के लिए मतदान 23 को, कई उम्मीदवार अब भी मैदान में

मुंबई/पुणे, 9 अप्रैल (भाषा)।

कांग्रेस ने बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए गुरुवार को अपना उम्मीदवार वापस लेते हुए कहा कि यह निर्णय महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति तथा मर्यादा को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस सीट से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रहीं हैं।

पार्टी के उम्मीदवार आकाश मोरे ने पुणे जिले के बारामती से अंतिम तिथि से ठीक पहले अपना नामांकन वापस ले लिया। मोरे ने पत्रकारों से कहा, पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार, मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा क्योंकि कई अन्य उम्मीदवार अब भी मैदान में हैं। मतदान के बाद मतगणना चार मई को होगी।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुंबई में एक प्रेसवार्ता में कहा कि दो महीने पहले एक विमान दुर्घटना में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मृत्यु के मद्देनजर पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस लेने का फैसला किया है। अजित पवार, सुनेत्रा पवार के पति थे। राज्य की राजनीतिक संस्कृति, मर्यादा और संवाद को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। सपकाल ने कहा, अजित पवार के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए हम दो कदम पीछे हट रहे हैं। हालांकि अजित पवार ने अपने राजनीतिक करिअर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रही है। सपकाल ने कहा कि पार्टी के इस फैसले का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उनसे निर्विरोध चुनाव कराने के अनुरोध पर बातचीत करने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नाम वापस लेने के बावजूद चुनाव होंगे क्योंकि 30 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

सपकाल ने कहा, सुनेत्रा पवार ने उनसे तीन बार बात की थी और पार्टी के उम्मीदवार को वापस लेने के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात भी की थी। पार्टी 2029 के विधानसभा चुनावों में और भी कड़ी टक्कर के लिए तैयार रहेगी। सपकाल ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 2029 में बारामती में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा।

> *राज्य* की राजनीतिक संस्कृति, मर्यादा और संवाद को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। *मतदान* 23 अप्रैल को होगा। कई अन्य उम्मीदवार अब भी मैदान में हैं। मतदान के बाद मतगणना चार मई को होगी।

नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में आज लेंगे शपथ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अप्रैल।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उनके राज्यसभा जाने के साथ बिहार में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। कुमार गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और हवाई अड्डे पर जद(एकी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। कुमार ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, 'मैं यहां शपथ लेने आया हूं।' उन्हें राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन के कक्ष में उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।

कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के साथ ही बिहार में उनका शासनकाल समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 14 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकता है। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद शपथ लेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। चौधरी ने कहा, बिहार में राजग सरकार बनेगी और निश्चित रूप से नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए नीतीश माडल का अनुसरण करेगी, जैसा कि पिछले 20 वर्षों से होता आ रहा है।' कुमार राज्य विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल (एकी) सुप्रीमो 16 मार्च को संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।

हुमायूं कबीर के वीडियो को लेकर छिड़ा विवाद

तृणमूल ने जांच की मांग की, बनर्जी को चुनाव में हराने की साजिश का आरोप लगाया

कोलकाता, 9 अप्रैल (भाषा)।

हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद छिड़ गया। वीडियो में वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संबंध होने और विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के प्रयासों का दावा करते नजर आ रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने कथित वीडियो साझा करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ कबीर की कथित निकटता के दावों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग की।

पार्टी का आरोप है कि ये दावे बनर्जी को चुनाव में हराने की साजिश का हिस्सा हैं। स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकी है। वीडियो में, कबीर को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि वह बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और वह शुभेंदु अधिकारी सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं।

पिछले साल के अंत में तृणमूल द्वारा निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) की स्थापना करने वाले कबीर के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पीएमओ से संपर्क किया था और उन्हें भाजपा शासित अन्य राज्यों के नेताओं के साथ समन्वय करने की सलाह दी गई थी। वीडियो में कबीर यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनकी रणनीति सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस तरह के बदलाव से भाजपा को चुनावी रूप से फायदा हो सकता है। उन्होंने इस रणनीति को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लागू करने के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता का उल्लेख किया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि कबीर अल्पसंख्यक मतदाताओं को गुमराह करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

> *वीडियो* में कबीर यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनकी रणनीति सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस तरह के बदलाव से भाजपा को चुनावी रूप से फायदा हो सकता है। उन्होंने इस रणनीति को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लागू करने के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

महिलाओं को आरक्षण देकर मजबूत करेगी सरकार : नितिन नवीन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अप्रैल।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया है।

इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का काम किया जाएगा। आज माताएं व बहनें अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार और समाज दोनों को संभाल रही हैं, लेकिन बंगाल में सरकार चिंता नहीं करती। राज्य सरकार कुछ राशि जरूर देती है, लेकिन भाजपा सरकार उससे अधिक सहयोग के साथ सुरक्षा, सम्मान व स्वाभिमान भी सुनिश्चित करेगी।

प्रपत्र सं.3 [विनियम-13(1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चण्डीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नं.: ओए/1197/2025

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (संमन्स)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Exh. No.: 30152

विरूद्ध

प्रोदाह सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

प्रति,

(1) प्रोदाह सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय-3-140, साउथ बाजार, बोब्बेपल्ली, आंध्र प्रदेश-523301.
इस पर भी: प्रोदाह सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, बाटिका ट्रायंगल, सुशांत लोक-1, ब्लॉक ए, एमजी रोड, गुरूग्राम-122002

(2) श्रीमती अनुषा कोप्पुरावुरी पुत्री रामा सुब्बाराव कोप्पुरावुरी
निवासी म.नं.1545ए, मारूति विहार, सरस्वती विहार, चक्करपुर, एमजी रोड, गुड़गाँव-122002.

(3) श्री सुधाकर पॉलिसेट्टी पुत्र नागेंद्रम पॉलिसेट्टी
निवासी म.नं.1545 ए, मारूति विहार, सरस्वती विहार, चक्करपुर, एमजी रोड, गुरूग्राम-122002.

सम्मन

जबकि, **ओए/1197/2025 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार** के समक्ष 19/03/2026 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि, यह माननीय अधिकरण **रू.54,07,301.08** के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरूद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश यानि सम्मन/सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (प्रलेखों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, अर्थात् प्रतिवादियों को, निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् सम्मन प्रसारित होने के तीस दिवसों के अन्दर कारण बताना होगा कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करें ;
(3) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से रोका गया है ;
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है, को और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियां को, हस्तांतरित नहीं करेंगे;
(5) आप, व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए जिम्मेदार होंगे और ऐसी बिक्री आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूत हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे। ;

आपको आवेदक को एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, लिखित विवरण दाखिल करने और **06/05/2026 को सुबह 10:30 बजे रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 02/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के अंतर्गत निर्गत।

न्यायालय की मोहर

सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः जो लागू न हो उसे काट दें।

ऋण वसूली अधिकरण – II,
दिल्ली के समक्ष चौथी मंजिल, जीवन तारा पार्लियामेंट मार्ग, नई दिल्ली – 110001

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत, ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित सूचना, निम्नलिखित मामले के संबंध में :

OA NO 759/2025 दिनांक: 07.04.2026

पंजाब नेशनल बैंक ....आवेदक
बनाम
श्री मनीष कुमार एवं अन्य .....प्रतिवादी

सेवा में,
प्रतिवादी

डी1. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राम दावर सिंह, निवासी: मकान संख्या 35, टॉप फ्लोर, गली नं. 3, मंदिर वाली गली, भगवान पार्क, झरोडा, बुराड़ी, दिल्ली – 84

इसके अलावा: एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2/10, प्रथम तल, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, WHS, कीर्ति नगर, नई दिल्ली – 15

डी2. श्रीमती नमिता सिंह, पत्नी श्री मनीष कुमार, निवासी: मकान संख्या 35, टॉप फ्लोर, गली नं. 3, मंदिर वाली गली, भगवान पार्क, झरोडा, बुराड़ी, दिल्ली।

डी3. हिमालया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, 7365, प्रेम नगर, शक्ति नगर, दिल्ली – 07

इसके अलावा: साइट ऑफिस, हिमालया प्राइड, GH–10B, टेक जोन–IV, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

चूंकि, उपर्युक्त नामित आवेदक (आवेदकों) ने आपके विरुद्ध **रुपये 45,42,681/– (रुपये पैंतालीस लाख बयालीस हजार छह सौ इक्यासी मात्र)** की वसूली के लिए एक मामला दायर किया है और चूंकि, अधिकरण (Tribunal) को यह संतोषजनक रूप से दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस देना संभव नहीं है, अतः यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है, जिससे आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक **12.08.2026 को प्रातः 11:00** बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, बाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा भौतिक उपस्थिति के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं–

(i) सभी अधिवक्तागण/विवादकर्ता **"Cisco Webex"** एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
(ii) सुनवाई के लिए **"मीटिंग आईडी" और पासवर्ड** संबंधित मामलों के लिए माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा DRT की आधिकारिक वेबसाइट **(drt.gov.in)** पर दैनिक कार्य सूची (Daily Cause List) में प्रदर्शित किए जाएंगे।
(iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन नं. **23748478** पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के अधीन, आज दिनांक **07 अप्रैल, 2026** को जारी।

प्राधिकरण के आदेशानुसार,
अनुभाग अधिकारी, डीआरटी–II, दिल्ली

केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएपीएफ के साथ भेदभाव होगा खत्म : राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अप्रैल।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद से हाल ही में पारित किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) से संबंधित विधेयक का हवाला देते हुए गुरुवार को कहा कि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार आते ही इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर सीएपीएफ जवानों को उनका पूरा अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने सीआरपीएफ शौर्य दिवस के मौके पर एक संदेश में यह भी कहा कि यह जरूरी है कि सीएपीएफ बलों का नेतृत्व उसी व्यवस्था से आने वाले लोग करें, जो उनकी चुनौतियों और जरूरतों को सही मायनों में समझते हों।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक के संबंध में विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि कि यह सीएपीएफ के किसी भी वर्ग के अहित में नहीं है और यह बलों को अधिक सशक्त बनाने में सहायक होगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, 'सीआरपीएफ शौर्य दिवस पर इस बल के हमारे साहसी और वीर जवानों को हार्दिक बधाई और सादर नमन।

केनरा बैंक Canara Bank | Syndicate

केनरा बैंक एआरएमबी – 1
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

ई–नीलामी बिक्री सूचना

बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टि बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को **"जहां है जैसी है", जो है कैसी है" और जैसी भी है"** के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधिन बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया E-bkray (मैसर्स पीएसबी एलायंस (Baanknet.com), (सम्पर्क नं. **8291220220, ईमेल : support.BAANKNET@psballiance.com या केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक "ई–नीलामी" को देखें।** आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी राशि मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड (E-bkray) पोर्टल के ई–वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान बनाकर उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना है।

नाम और पता उधारकर्ता/ गारंटर	अचंल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कुल देयताएं (रू) : / आरक्षित मूल्य (रू) : / ईएमडी (रू) : / वेतन वृद्धि राशि (रू) :	नीलामी की तिथि एवं समय / ईएमडी दिनांक / विजिट की तारीख / सम्पर्क कर्ता का नाम व नं.
1. श्रीमती बीना (ऋणधारक कम बंधककर्ता) पत्नी श्री प्रेम कुमार निवासी 16/15 MCD फ्लैट्स मॉडल टाउन, सेक्टर – 1 रोहिणी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली – 110085 यहां भी : श्रीमती बीना (ऋणधारक कम बंधककर्ता) पत्नी श्री प्रेम कुमार निवासी FF–3, फर्स्ट फ्लोर प्लॉट नंबर –D– 24, ब्लॉक –D गंगा विहार, विलेज – सादुल्लाबाद परगना – लोनी जिला– गाजियाबाद – 201102 2. सुश्री सविता (उधारकर्ता) पुत्री श्री प्रेम कुमार निवासी 16/15 एमसीडी फ्लैट्स मॉडल टाउन, सेक्टर – 1 रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली – 110085 यहां भी : सुश्री सविता (उधारकर्ता) पुत्री श्री प्रेम कुमार निवासी FF–3, प्रथम तल प्लॉट संख्या –D– 24, ब्लॉक –D गंगा विहार, गांव –सादुल्लाबाद परगना– लोनी जिला– गाजियाबाद – 201102 3. श्री झुन्ना मिश्रा (गारंटर) पुत्र श्री बालेश्वर मिश्रा निवासी 19 तीसरी मंजिल पंडित चौक मंडावली फाजलपुर शकरपुर ईस्ट दिल्ली – 110092 यहां भी : श्री झुन्ना मिश्रा (गारंटर) पुत्र श्री बालेश्वर मिश्रा निवासी डी 24 गंगा विहार, गांव – सादुल्लाबाद परगना – लोनी जिला– गाजियाबाद – 201102	आवासीय फ्लैट संख्या एफएफ–3, प्रथम तल, प्लॉट संख्या – डी–24, ब्लॉक – डी, गंगा विहार, गाँव सादुल्लाबाद, परगना – लोनी, तहसील और जिला – गाजियाबाद। चौहदी : पूरब में: प्लॉट नंबर डी–25. पश्चिम में: प्लॉट का दूसरा हिस्सा. उत्तर में: 30 फिट चौड़ी सड़क. दक्षिण में: रेस्ट लैंड. (यह सम्पति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	रू. 39,45,920.24/– 30.11.2025 तक रू. 11,25,000.00/– रू. 1,12,500/– रू. 10,000/–	24.04.2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) 23.04.2026 22.04.2026 श्री अंचू चाको मुख्य प्रबंधक मोबाइल नं. 9560062365 और प्रत्युष कुमार 9945145589

दिनांक : 07.04.2026
स्थान : दिल्ली

केनरा बैंक
प्राधिकृत अधिकारी

पोषण पखवाड़ा शुरू, जन जागरूकता के होंगे कार्यक्रम

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (ब्यूरो)।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 को शुरू किया। इसके तहत जन जागरूकता सहित दूसरे कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

विज्ञान भवन से इस अभियान को शुरू करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 को शुरू किया गया। मोदी के मार्गदर्शन में अभियान 9 से 23 अप्रैल तक चलेगा। इस वर्ष की थीम जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना है, जो हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने पर केंद्रित है। यह पहल कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त करने के साथ जन-जागरूकता व सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगी।

> *प्रधानमंत्री* के मार्गदर्शन में अभियान 9 से 23 अप्रैल तक चलेगा। इस वर्ष की थीम जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, 75/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ (उत्तर प्रदेश) - 250004
फोन: 8477000776 ईमेल: sarmee@bankofbaroda.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 15/30 दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

[परिशिष्ट IV-ए अचल संपत्ति के लिए धारा 8(6) और 9(1) के प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित खाते(तों) में बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर की जायेगी। कर्जदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों)/प्रतिभूत आस्ति(यों)/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा संविदा वृद्धि राशि निम्नलिखित वर्णित हैं :

क्र. सं.	कर्जदार/रों/जमानती/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि/समय	आरक्षित मूल्य (रु.) / ईएमडी / न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/ भौतिक)	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	मैसर्स जेपीसी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः- ग्राम बामनोली पीओ- धुल सिरस द्वारका, सेक्टर-28, फेज-2, नई दिल्ली-110077 फैक्ट्री का पताः खसरा नंबर 326एम, खाता नंबर 00190 जानसठ रोड गांव लाडपुर तहसील खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन-251201 श्री विकास तंवर पुत्र जय भगवान तंवर (निदेशक एवं) गारंटर) निवासी ग्राम बामनोली, डाकघर- धूल सिरस द्वारका, सेक्टर-28, फेस-2, नई दिल्ली-110077 श्रीमती पुष्पा तंवर उर्फ ??पुष्पा देवी पत्नी जय भगवान तंवर (निदेशक/गारंटर) निवासी ग्राम बामनोली डाकघर- धुल सिरस द्वारका, सेक्टर-28, फेज-2, नई दिल्ली-110077 श्री जय भगवान तंवर पुत्र स्वर्गीय श्री चंदर भान (गारंटर) निवासी ग्राम बामनोली, पोस्ट ऑफिस- धुल सिरस द्वारका, सेक्टर-28, फेज-2, नई दिल्ली-110077 श्री नवीन तंवर पुत्र जय भगवान तंवर (गारंटर) निवासी- ग्राम बामनोली पोस्ट ऑफिस- धुल सिरस द्वारका, सेक्टर-28, फेज-2, नई दिल्ली-110077	फैक्टरी भूमि एवं भवन श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा तंवर पत्नी श्री जय भगवान तंवर के नाम पर खसरा नंबर 326 एम, खाता नंबर 00190, क्षेत्रफल 1370 वर्ग मीटर, जानसठ रोड, ग्राम लाडपुर, तहसील खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पिन कोड 251201 पर स्थित, (श्री नवीन तंवर पुत्र जय भगवान तंवर और श्रीमती पुष्पा तंवर उर्फ ??पुष्पा देवी पत्नी जय भगवान तंवर को कार ऋण में संपत्ति भी बंधक)। ऋणभार यदि कोई हो - ज्ञात नहीं	30.04.2024 तक रु. 3,92,37,956/- (रुपये तीन करोड़ बानवे लाख सैंतीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) और 01.05.2024 से अतिरिक्त ब्याज, दंड ब्याज, कानूनी शुल्क और अन्य विविध व्यय।	06.05.2026 02.00 बजे पूर्वा. से 06.00 बजे अप.	रु. 2,13,00,000/- / रु. 21,30,000/- / रु. 25,000/-	भौतिक कब्जा	23.04.2026 को 03:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** तथा ऑनलाइन नीलामी पोर्टल **https://baanknet.com/** में प्रावधानित लिंक का संदर्भ लें/देखें।
साथ ही सम्भावित संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी से मोबाइल नं. 8477000776 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

तिथि : 08.04.2026 स्थान : मेरठ

अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

PRUDENT ARC LIMITED

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, 611, डी-मॉल, प्लॉट नंबर ए-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली -110 034, टेलीफोन: +91-11-45320000, ईमेल आईडी: info@prudentarc.com, सीआईएन: U74900DL2011PLC225445

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों [प्रतिभूत परिसम्पत्तियों] की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रूडेंट एआरसी लिमिटेड ("प्रतिभूत लेनदार") के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया था, नीचे उल्लिखित कर्जदारों तथा गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार के नीचे उल्लिखित बकाया तथा राशि की वसूली की तिथि तक भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों की की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर **"जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि (ईएमडी) तथा ईएमडी